राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें (आई.ई.सी.) राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–प.159 / आई.ई.सी. / भामा.स्वा.बीमा योजना / 2016 / 43 दिनांक :– 13/01/2016

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं
समस्त जिला आई.ई.सी. कोर्डिनेटर,
राजस्थान।

विषय :– भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना की आईईसी गतिविधियों को सुनिश्चित करने के संबंध में।

संदर्भ :– पत्र क्रमांक 1762 दिनांक 30.12.2015 के क्रम में।

उपरोक्त विषय के क्रम में लेख है कि प्रदेश में आमजन से जुड़ी राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का 13 दिसम्बर 2015 को माननीया मुख्यमंत्री महोदया के कर कमलों से शुभारम्भ किया गया है। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए विभिन्न आई.ई.सी. गतिविधियाँ की जा रही है। इसी क्रम में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना की गतिविधियाँ सुचारू रूप से संचालित करने के लिए दिनांक 30.12.2015 को पत्र क्रमांक 1762 में आपको विभिन्न आई.ई.सी. गतिविधियों के संपादन के बारे में आदेशित किया गया है।

इसी क्रम में प्रत्येक जिले में न्यू इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी के प्रतिनिधियों को एक लाख प्रति जिले के अनुसार प्रचार–प्रसार के लिए राशि इन्श्योरेन्स कम्पनी द्वारा पुनः जारी की गई है। अतः जिला स्तर पर कम्पनी के प्रतिनिधि से सम्पर्क कर भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना की आई.ई.सी. हेतु दिए गए बजट का इस्तेमाल करें। किन्ही परिस्थितियों में यदि भुगतान में समस्या आयी है आई.ई.सी. के लिए इस्तेमाल हुई बजट का ब्यौरा बिल सहित राज्य स्तर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। जिससे सक्षम स्तर से बिलों के भुगतान की कार्यवाही की जा सकें।

अतिरिक्त मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
निदेशक(आई.ई.सी.) एवं
विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांकः–प.159 / आई.ई.सी. / भामा.स्वा.बीमायोजना / 2016 / 43 दिनांक :– 13/01/2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. श्रीमान् विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान् निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. श्रीमान् निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव एवं मिशन निदेशक (एनएचएम) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. श्रीमान् निदेशक (आर.सी.एच.) चिकि. एवं स्वा. सेवायें, राजस्थान जयपुर।
5. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।
7. सलाहकार, आई एम सी
8. न्यू इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी

अतिरिक्त मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
निदेशक(आई.ई.सी.) एवं
विशिष्ट शासन सचिव

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें (आई.ई.सी.) राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–प.159 / आई.ई.सी. / भामा.स्वा.बीमायोजना / 2015 / 1762 दिनांक :– 30/12/2015

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं
समस्त जिला आई.ई.सी. कोर्डिनेटर,
राजस्थान।

विषय :– भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना की आईईसी गतिविधियों को सुनिश्चित करने के संबंध में।

उपरोक्त विषय के क्रम में लेख है कि प्रदेश में आमजन से जुड़ी राजस्थान सरकार की महत्वकांक्षी योजना भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का 13 दिसम्बर 2015 को माननीया मुख्यमंत्री महोदया की ओर से शुभारम्भ किया गया है। योजना की आईईसी गतिविधियों को लेकर 28 दिसम्बर 2015 को माननीय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय की ओर से समीक्षा बैठक बुलाई गई। बैठक में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना की आईईसी गतिविधियां सुनिश्चित करने के लिए निम्न दिशा निर्देश जारी किए गए हैं–

1. सभी जिला आईईसी समन्वयक भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर अपने जिलों का आईईसी प्लान 04 जनवरी 2016 तक निदेशक आईईसी के पास भिजवाना सुनिश्चित करें। प्लान भेजने में समय–सीमा का विशेष ध्यान रखा जाए।
2. भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के शुभारम्भ से पूर्व भी जिलों में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की ओर से स्थानीय स्तर पर पत्रकार वार्ता का आयोजन कर योजना की जानकारी देने के निर्देश दिए गए थे। इसी तरह अब जनवरी के प्रथम सप्ताह में भी स्थानीय स्तर पर पत्रकार वार्ता का आयोजन करें। जिसमें सूचीबद्ध निजी अस्पतालों के नामों के बारे में आवश्यक रूप जानकारी प्रकाशित करवाए।
3. भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रचार–प्रसार में पूर्व में होर्डिंग्स व फ्लेक्स चार मुख्य स्थानों बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, जिला अस्पताल व कलेक्ट्रेट पर लगाने के लिए निर्देश दिए गए थे। ये सभी होर्डिंग्स फ्लेक्स उपयुक्त स्थानों पर लगे हैं या नहीं ये सुनिश्चित कर लें। साथ ही जिला परिषद एवं जिले की सभी पंचायत समिति मुख्यालयों पर भी होर्डिंग्स फ्लेक्स लगवाया जाना सुनिश्चित करें।
4. योजना को लेकर नुक्कड़ नाटक के लिए टीम गठित कर टीम के विवरण सहित ब्लॉकवार होने वाले नाटक के बारे में कार्ययोजना बनाकर भेजें।
5. भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना व आरोग्य राजस्थान अभियान की आईईसी सामग्री में पोस्टर, पम्पलेट व लीफलेट जिले में वार्ड पंच से लेकर सभी जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। जिससे वे अपने क्षेत्र में होने वाली किसी भी जनसभा में आरोग्य राजस्थान व भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में जानकारी दे सकें।
6. जिलों में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए लगाई गई कियोस्क की फोटो भी सभी आईईसी समन्वयक निदेशक आईईसी को भिजवाना सुनिश्चित करें।
7. सभी स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के पम्पलेट्स जिले में वितरित करवाएं। इस कार्य के दौरान ये ध्यान रखें कि एक दिन में एक ही समाचार पत्र के माध्यम से पम्पलेट्स का वितरण हो। इस कार्य को एक सप्ताह तक विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से किया जाना है।
8. भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना की आईईसी गतिविधियों के संबंध में पूर्व में दिनांक 11 दिसम्बर 2015 को भेजे गए पत्र कमांक 24 के अनुसार ही उपरोक्त कार्य के लिए न्यू इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी द्वारा प्रति जिले को दी गई एक लाख रूपये की राशि का ही उपयोग किया जाना है।
9. सरकारी अस्पताल की उन सभी स्टेश्नरी पर भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में संदेश प्रकाशित करवाएं जो इलाज के लिए आने वाले मरीजों को प्राप्त होती है।

सलंग्न– 1. पत्र क्रमांक 24 दिनांक 11.12.2015
2. पत्र क्रमांक 25 दिनांक 11.12.2015

अतिरिक्त मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
निदेशक(आई.ई.सी.) एवं
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः–प.159 / आई.ई.सी. / भामा.स्वा.बीमायोजना / 2015 / 1762 दिनांक :– 30/12/2015

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. श्रीमान् विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान् निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. श्रीमान् निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव एवं मिशन निदेशक (एनएचएम) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. श्रीमान् निदेशक (जन स्वा.) चिकि. एवं स्वा. सेवायें, राजस्थान जयपुर।
5. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली

o/c

अतिरिक्त मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
निदेशक(आई.ई.सी.) एवं
संयुक्त शासन सचिव